न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीपलू जिला टोंक (राज.)

पीठासीन अधिकारी रवि वर्मा (आर.ए.एस.) द्वारा अध्यासित

दावा संख्या– 103/2021
वाद प्रस्तुति दिनांक–01.09.2021
निर्णय दिनांक–29.07.2022

रईसा उर्फ रईसुन्निसा पुत्री मोहम्मद धर्मपत्नि अख्तर अली जाति मुसलमान निवासी टोंक हाल निवासी प्लॉट न. 10 न्यू कॉलोनी, रामगढ़ रोड, नाई की थड़ी, जयपुर जिला जयपुर (राज.) वादीया

बनाम

1. फरीदुन्निसा पुत्री मोहम्मद धर्मपत्नि अब्दूल शमीम जाति मुसलमान निवासी टोंक, हाल निवासी गोहापुरा कस्बा सीहोर, मध्यप्रदेश
2. तहसीलदार पीपलू

प्रतिवादीगण

अधिवक्ता वादीया–श्री विवेक चौधरी
अधिवक्ता प्रतिवादीया संख्या 01–ईरशाद अहमद खान

वाद बाबत् घोषणा खातेदारी व तकास्मा अन्तर्गत धारा 53, 88 राज.टि.एक्ट 1955 निर्णय

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वाद पत्र उनवानी रईसा उर्फ रईसुन्निसा बनाम फरीदुन्निसा प्रकरण संख्या 103/2021 के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि भूमि आराजी ख0न0 1108, 1111, 1298, 1301, 1312, 1316, 1319, 137, 138, 139, 140, 154, 395, 401, 403, 426, 56, 608, 67, 784 कुल किता 20 कुल रकबा 16.7167 हैक्ट. वाके ग्राम कुरेड़ी पटवार हल्का कुरेड़ा तह0 पीपलू जिला टोंक में स्थित है। उक्त वर्णित आराजीयात मोहम्मद पुत्र वली मोहम्मद खां के खातेदारी की आराजीयात है। जिनकी मृत्यु दिनांक 22.09.1997 को हो चुकी है। वादीया व प्रतिवादी संख्या 01 उनकी जायन्दा पुत्रियां है और अन्य कोई वारिस नहीं है। वादीया व प्रतिवादी संख्या 01 को अपने मतृक पिता की विरासत प्राप्त कर आराजी का विधिवत् तकास्मा कराने का पूर्ण हक अधिकार हासिल है। ग्राम कुरेडी में स्थित उक्त वर्णित आराजीयात में जरिये विरासत वादीया व प्रतिवादी संख्या 01 की बराबर की हिस्सेदारी है। किन्तु प्रतिवादीया वादीया को आराजी में कोई हिस्सा नहीं देना चाहती है। इस कारण उसने आज तक विरासत का अमल दरामद नही होने दिया है और प्रतिवादीया अपनी इच्छानुसार आराजी को काश्त पर देकर विवादित आराजीयात की पैदावार प्राप्त कर रही है। जबकि विवादित आराजीयात वादीया व प्रतिवादी संख्या 01 की संयुक्त खातेदारी की अविभाजित आराजीयात

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with CamScanner

वर्णित आराजीयात मे वादीया व प्रतिवादी संख्या 01 को बहिस्सा बराबर खातेदार घोषित करते हुए वर्णित आराजीयात का वादीया व प्रतिवादी संख्या 01 के बीच विधिवत् तकास्मा किये जाने का आदेश प्रदान करे तथा तकास्मे अनुसार नक्शा शीट मे अंकन कराया जावे। वादीया ने अनेको बार प्रतिवादी संख्या 01 को रिकोर्ड मे अमल दरामद करवाकर आराजी का बंटवारा कराने हेतु कहा। किन्तु प्रतिवादीया ने मना कर दिया। जिसकी वजह से वादीया ने यह वाद प्रस्तुत किया है। अतः डिक्री वादीया विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 01 बाबत् उद्घोषणा व विभाजन फरमायी जाकर वादपत्र के पेरा संख्या 01 में वर्णित आराजीयात का वादीया व प्रतिवादी संख्या 01 को बहिस्सा बराबर खातेदार घोषित करते हुए आराजीयात का वादीया व प्रतिवादी संख्या 01 के बीच विधिवत् तकास्मा किये जाने का आदेश प्रदान करे तथा तकास्मे अनुसार नक्शा शीट में अंकन कराया जावे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर की जाकर तलबी प्रतिवादी की गई। प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री ईरशाद अहमद खान ने वकालतनामा व जवाब वादपत्र प्रस्तुत कर कथन किया की वादीया व प्रतिवादी संख्या 01 के बराबर हिस्सेदार होने के अतिरिक्त शेष वर्णित तथ्यों को गलत होने से प्रतिवादीया स्वीकार नहीं करती है। बंटवारा किये जाने में प्रतिवादीयां की कोई उज्र आपत्ति नहीं है। प्रतिवादीया ने अपने पिता की आराजी के बंटवारे के लिए कभी वादीया को मना नहीं किया है। बल्कि वादीया अपनी इच्छानुसार और अपने मनचाहे खेतो को लेना चाहती थी। अपने हिस्से में आने वाली भूमि से अधिक लेने का प्रयास कर रही थी। जिसको लेकर प्रतिवादी हमेशा यह कहती रही है कि जमीन का बंटवारा तो दोनो के बीच बराबर होगा। इस बात को लेकर वादीया सदैव प्रतिवादीया से नाराज रही और उसने स्वयं ने ही विरासत का अमल दरामद नही होने दिया। प्रतिवादीया इस बात से इनकार करती है कि उसने जमीन का बंटवारा कराने से मना कर दिया है। बराबर बंटवारा करने हेत प्रतिवादीया सहमत थी और आज भी है। वादपत्र के अन्त में वादीया द्वारा चाहे गये अनुतोष को प्रतिवादीया स्वीकार करती है। वादीया व प्रतिवादीया के बीच वर्णित आराजीयात का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स विधिवत् तकास्मा किया जाकर वादीया व प्रतिवादीया का अलग–अलग खाता कायम किया जावे। जिसके लिए प्रतिवादीया सहमत है।

वादीया रईसा उर्फ रईसुन्निसा पुत्री मोहम्मद धर्मपत्नि अख्तर अली जाति मुसलमान निवासी टोंक हाल निवासी प्लॉट न. 10 न्यू कॉलोनी, रामगढ रोड़, नाई की थड़ी, जयपुर जिला जयपुर ने अपने वाद के समर्थन में शपथ पत्र पी.डब्ल्यू.–1 प्रस्तुत कर कथन किया कि " मेरी पैतृक आराजीयात ग्राम कुरेडी तह0 पीपलू जिला टोंक में स्थित है। जो लगभग 66–00 बीघा है। आराजीयात मेरे पिता मोहम्मद पुत्र वली मोहम्मद की खातेदारी में दर्ज है। जिसका देहान्त दिनांक 22.09.1997 को हो चुका है। मेरे पिता मोहम्मद के वारिस में दो पुत्रियां है। एक मै और दूसरी फरीदून्निसा है। हम दोनो के अतिरिक्त अन्य कोई वारिस नहीं है। मेरे पिता की आराजीयात में हम 0दोनो बहिनो की बराबर की हिस्सेदार है। किन्तु मेरी बहिन फरीदुन्निसा प्रतिवादी संख्या 01 मुझे कोई

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with CamScanner

...देती है। इस कारण मैने मेरे पिता की जमीन मे मेरा आधा हिस्सा प्राप्त करने हेतु यह वाद घोषणा ...समक्ष प्रस्तुत किया है। मेरी बहिन ने मुझे हिस्सा देने से मना कर दिया और भूमि का बंटवारा ...के लिए मना कर दिया था। इसलिए मैने यह दावा पेश किया है। मेने अपने दावे के समर्थन में निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये है–नकल जमाबंदीयां ग्राम कुरेडी प्रदर्श–1, नकल जमाबंदी ग्राम कुरेडी प्रदर्श–2, मृत्यु प्राण की प्रति प्रदर्श–3, वार्ड पार्षद का प्रमाण पत्र प्रदर्श–4, शपथ पत्र प्रदर्श–5, आधार कार्ड प्रदर्श–6 पेश की है। मेरा वाद डिक्री किया जावे तथा मेरे पिता के ग्राम कुरेडी में स्थित आराजीयात में मेरा आधा हिस्सा घोषित किया जाकर आराजी का विधिवत् विभाजन किया जाकर नक्शा शीट में हिस्से में आने वाली जमीन की तरमीम की जावे।" शपथ पत्र पी.डब्ल्यू.–2 गणेश सैनी पुत्र बद्धाराम सैनी जाति माली निवासी नाई माता का मंदिर के सामने, मुकुन्द बाग की ढाणी वार्ड न0 77/6 आमेर जयपुर जिला जयपुर ने प्रस्तुत कर कथन किया कि "मै मोहम्मद पुत्र वली मोहम्मद खां जाति मुसलमान निवासी टोंक को अच्छी तरह जानता था। जिनका देहान्त हो चुका है। उनके दो पुत्रियां है। रईसा उर्फ रईसुन्निसा व फरीदुन्निसा। मोहम्मद पुत्र वली मोहम्मद खां की कृषि आराजीयात ग्राम कुरेडी में स्थित है। मोहम्मद खां के दो लड़कियां के अलावा अन्य कोई संतान नहीं है और उनकी कृषि आराजीयात को वर्तमान में फरीदुन्निसा सीर पर देकर काश्त करवाती हैं और पैदावार प्राप्त करती है।" शपथ पुत्र पी.डब्ल्यू.–3 महमूद खान पुत्र फारूख खान मोहल्ला पेकान जगन्नाथ शाह का रास्ता, रामगंज बाजार जयपुर, त्रिपोलियां बाजार जयपुर जिला जयपुर ने बताया की "मैं मोहम्मद पुत्र वली मोहम्मद खां जाति मुसलमान निवासी टोंक को अच्छी तरह जानता था। जिनका देहान्त हो चुका है। उनके दो पुत्रियां रईसा उर्फ रईसुन्निसा व फरीदुन्निसा। मोहम्मद पुत्र वली मोहम्मद खां की कृषि आराजीयात ग्राम कुरेड़ी में स्थित है। मोहम्मद खां के दो लड़कियां के अलावा अन्य कोई संतान नहीं है और उनकी कृषि आराजीयात को वर्तमान में फरीदुन्निसा सीर पर देकर काश्त करवाती हैं और पैदावार प्राप्त करती है।"

शपथ पत्र डी.डब्ल्यू.–1 फरीदुन्निसा पुत्री मोहम्मद धर्मपत्नि शमीम जाति मुसलमान निवासी टोंक हाल निवासी गोहापुरा कस्बा सिहोर, मध्यप्रदेश प्रस्तुत किया की "मेरी पैत्तृक आराजीयात ग्राम कुरेडी तह0 पीपलू जिला टोंक में स्थित है। जो लगभग 66–00 बीघा है। आराजीयात मेरे पिता मोहम्मद पुत्र वली मोहम्मद की खातेदारी में दर्ज है। जिसका देहान्त दिनांक 22.09.1997 को हो चुका है। मेरे पिता मोहम्मद के वारिस मे दो पुत्रियां है। एक मै और दूसरी रईसा उर्फ रईसुन्निसा है। हम दोनो के अतिरिक्त अन्य कोई वारिस नहीं है। मेरे पिता की आरजीयात में हम दोनो बहिनों की बराबर की हिस्सेदार है। किन्तु कब्जा काश्त मेरा ही है। उक्त विवादित आराजीयात में हम दोनो बहिनों ने राजीनामा कर लिया है। इस कारण आराजी का बंटवारा करने हेतु मैं सहमत हूँ।"

वादी द्वारा पेश किये गये श्रीमति गुलरोज बानो, पार्षद वार्ड न0 35 नगरपरिषद् टोंक के सजरा प्रमाण पत्र दिनांक 04.01.2022 तथा श्री राजेश कुमार खटीक, सरपंच ग्राम पंचायत कुरेडा पंचायत समिति पीपलू के सजरा प्रमाण पत्र दिनांक 13.07.2022 के अनुसार स्वर्गीय मोहम्मद खां पुत्र वली मोहम्मद खां जाति मुसलमान

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with CamScanner

...आवलदन टोंक तह0 व जिला टोंक के पुत्रियां रईसा उर्फ रईसुन्निसा व फरीदुन्निसा है। मृतक ...खा के उपरोक्त दोनो पुत्रिया ही जायन्दा वारिस है तथा इनके अलावा अन्य कोई वारिस नहीं है। ...प्रमाण पत्र अनुसार मोहम्मद खा की खातेदारी की आराजीयात खसरा 1108, 1111, 1298, 1301, 1312, 1316, 1319, 137, 138, 139, 140, 154, 395, 401, 403, 426, 56, 608, 67, 784 कुल किता 20 कुल रकबा 16.7167 हैक्ट. वाके ग्राम कुरेडी पटवार हल्का कुरेडा में स्थित है। मोहम्मद खा की मृत्यु उपरान्त उक्त आराजीयात पर इनकी दोनो पुत्रिया रईसा उर्फ रईसुन्निसा व फरीदुन्निसा का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादी द्वारा कराची म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा जारी मोहम्मद पुत्र वली मोहम्मद खा के मृत्यु प्रमाण पत्र दिनाक 06.11.1997 की फॉटो प्रति भी पेश की गई। जिसे प्रदर्श 3 पर दर्शाया गया है। वादी द्वारा उर्दू में लिखित एक निकाहनामा दिनांक 20.05.1971 मय हिन्दी अनुवाद पेश किया, जिसमें रईसुन्निसा के पिता का नाम मोहम्मद दर्ज है।

अधिवक्ता उभयपक्ष व पक्षकारान् ने राजीनामा प्रस्तुत कर कथन किया कि उक्त उनवानी प्रकरण में पक्षकारान् दोनो सगी बहिने है। जिन्होने आपस मे मिल बैठकर आराजी को विभाजित कर लिया है। मुताबिक राजीनामा वादी रईसुन्निसा को विभाजन में ख0न0 1312, 1316, 1319, 138, 139, 140, 401 कुल किता 07 कुल रकबा 8.1561 हैक्ट. तथा ख0न0 प्रतिवादीया फरीदुन्निसा को ख0न0 1108, 1111, 1298, 1301, 137, 154, 395, 403, 56, 608, 67, 784 कुल किता 12 कुल रकबा 8.1054 हैक्ट. भूमि हिस्से में आयी है। इसी प्रकार ख0न0 426 दोनो पक्षकारों ने अपनी शामिल खातेदारी में रखा है। प्रस्तुत राजीनामें अनुसार पक्षकार वादी व प्रतिवादी के बीच बंटवारे की घोषणा की जाकर प्रकरण में निर्णय पारित किया जाकर डिक्री की जावे।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में बताया कि भूमि आराजी ख0न0 1108, 1111, 1298, 1301, 1312, 1316, 1319, 137, 138, 139, 140, 154, 395, 401, 403, 426, 56, 608, 67, 784 कुल किता 20 कुल रकबा 16.7167 हैक्ट. वाके ग्राम कुरेडी में स्थित है। उक्त वर्णित आराजीयात मोहम्मद पुत्र वली मोहम्मद खा के खातेदारी की आराजीयात है। जिनकी मृत्यु दिनांक 22.09.1997 को हो चुकी है। वादीया व प्रतिवादी संख्या 01 उनकी जायन्दा पुत्रियां है और अन्य कोई वारिस नहीं है। ग्राम कुरेडी मे स्थित उक्त वर्णित आराजीयात मे जरिये विरासत वादीया व प्रतिवादी संख्या 01 की बराबर की हिस्सेदारी है। किन्तु प्रतिवादीया वादीया को आराजी मे कोई हिस्सा नही देना चाहती है। इस कारण उसने आज तक विरासत का अमल दरामद नही होने दिया है और प्रतिवादीया अपनी इच्छानुसार आराजी को काश्त पर देकर विवादित आराजीयात की पैदावार प्राप्त कर रही है। जबकि विवादित आराजीयात वादीया व प्रतिवादी संख्या 01 की संयुक्त खातेदारी की अविभाजित आराजीयात है। उक्त वर्णित आराजीयात मे वादीया व प्रतिवादी संख्या 01 को बहिस्सा बराबर खातेदार घोषित करते हुए उक्त वर्णित आराजीयात का वादीया व प्रतिवादी संख्या 01 के बीच विधिवत तकासमा किया जाकर तकासमे अनुसार नक्शा शीट मे अंकन कराया जावे।

उपखण्ड अधिकारी

Scanned with CamScanner

अधिवक्ता प्रतिवादीया संख्या 01 ने अपनी जवाबी बहस व राजीनामा प्रस्तुत कर कथन किया की ... संख्या 01 के बराबर हिस्सेदार होने के अतिरिक्त शेष वर्णित तथ्यों को गलत होने से प्रतिवादीया ... नहीं करती है। बंटवारा किये जाने मे प्रतिवादीया की कोई उज्र आपत्ति नही है। प्रतिवादीया ने अपने ... की आराजी के बंटवारे के लिए कभी वादीया को मना नहीं किया है। बल्कि वादीया अपनी इच्छानुसार और अपने मनचाहे खेतो को लेना चाहती थी। अपने हिस्से में आने वाली भूमि से अधिक लेने का प्रयास कर रही थी। जिसको लेकर प्रतिवादी हमेशा यह कहती रही है कि जमीन का बंटवारा तो दोनो के बीच बराबर होगा। इस बात को लेकर वादीया सदैव प्रतिवादीया से नाराज रही और उसने स्वयं ने ही विरासत का अमल दरामद नही होने दिया। प्रतिवादीया इस बात से इनकार करती है कि उसने जमीन का बंटवारा कराने से मना कर दिया है। बराबर बंटवारा करने हेत प्रतिवादीया सहमत थी और आज भी है। वादपत्र के अन्त मे वादीया द्वारा चाहे गये अनुतोष को प्रतिवादीया स्वीकार करती है। वादीया व प्रतिवादीया के बीच वर्णित आराजीयात का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स विधिवत् तकास्मा किया जाकर वादीया व प्रतिवादीया का अलग-अलग खाता कायम किया जावे। जिसके लिए प्रतिवादीया सहमत है। अतः मुताबिक राजीनामा अनुसार वादी रईसुन्निसा को विभाजन में ख0न0 1312, 1316, 1319, 138, 139, 140, 401 कुल किता 07 कुल रकबा 8.1561 हैक्ट. तथा ख0न0 प्रतिवादीया फरीदुन्निसा के हिस्से में ख0न0 1108, 1111, 1298, 1301, 137, 154, 395, 403, 56, 608 67, 784 कुल किता 12 कुल रकबा 8.1054 हैक्ट. भूमि का अंकन किया जावे व ख0न0 426 वादीया व प्रतिवादी संख्या 01 की शामिल खातेदारी में रखा जावे। प्रस्तुत राजीनामें अनुसार पक्षकार वादी व प्रतिवादी के बीच बंटवारे की घोषणा की जाकर प्रकरण में निर्णय व डिक्री पारित की जावे। उभयपक्ष ने अपनी बहस के समर्थन में आदेश 23 नियम 3 सी.पी.सी. के प्रावधानों का हवाला देते हुए निवेदन किया की राजीनामा पेश होने पर मुताबिक राजीनामा डिक्री पारित किया जाना न्यायालय के लिए बाध्यकारी हैं।

उभयपक्ष की बहस पर मनन् किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 06.11.1997 की फॉटो प्रति तथा पार्षद तथा सरपंच के प्रमाण पत्र अनुसार खातेदार मोहम्मद पुत्र वली मोहम्मद खां जाति मुसलमान की मृत्यु हो चुकी है। पार्षद वार्ड न0 35 नगरपरिषद टोंक के सजरा प्रमाण पत्र दिनांक 04.01.2022 तथा सरपंच ग्राम पंचायत कुरेड़ा के सजरा प्रमाण पत्र दिनांक 13.07.2022 के अनुसार स्वर्गीय मोहम्मद खां पुत्र वली मोहम्मद खां जाति मुसलमान निवासी ... टोंक के दो पुत्रियां रईसा उर्फ रईसुन्निसा व फरीदुन्निसा है तथा मोहम्मद खा की मृत्यु उपरान्त उक्त आराजीयात पर इनकी दोनो पुत्रियो का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादी, प्रतिवादी के शपथ पत्र तथा गवाहान पी डब्ल्यू-02 व 03 के अनुसार मोहम्मद पुत्र वली मोहम्मद खा के वादी प्रतिवादी दोनो बहने वारिस है तथा इनके अलावा अन्य कोई वारिस नही है। अतः वादी तथा प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत राजीनामा स्वीकार कर मुताबिक राजीनामा विवादित आराजीयात के विभाजन की डिक्री करते हुए ख0न0 1312, 1316, 1319, 138, 139, 140, 401 कुल किता 07 कुल रकबा 8.1561 हैक्ट ग्राम कुरेडी भूमि वादीया रईसा उर्फ रईसुन्निसा

अपर खण्ड ... निवाई
... (टोंक)

ख0न0 1108, 1111, 1298, 1301, 137, 154, 395, 403, 56, 608, 67, 784 कुल किता 12 कुल रकबा [illegible] हैक्ट. ग्राम कुरेडी भूमि का प्रतिवादी संख्या 01 फरीदुन्निसा को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। मुताबिक राजीनामा ख0न0 426 रकबा 0.4552 हैक्ट. ग्राम कुरेडी भूमि मे वादीया व प्रतिवादी संख्या 01 को हिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। डिक्री जारी हो। तहसीलदार पीपलू निर्णय व डिक्री अनुसार मुताबिक राजीनामा वादीया व प्रतिवादी संख्या 01 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे। उक्त निर्णय आज दिनांक 29.07.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं नियमानुसार दफ्तर दाखिल हो।

(रवि वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी पीपलू
जिला टोंक (राज0)

Scanned with CamScanner